कार्यालय नगर निगम दक्षिण जोधपुर

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

क्रमांक-10377

दिनांक :- 6/11/2020
I.B.T.(B) 06 /2020-21

वि विनोद कुलकर्णी पुत्र श्री डॉ. रमाकान्त कुलकर्णी
भूखण्ड संख्या 19 देव नगर पाल लिंक रोड,
जोधपुर

::– भवन निर्माण आदेश –::

विषय :– आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग :– आपका आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक गठित भवन निर्माण अनुमति समिति बैठक दिनांक 27.08.2020 के प्रस्ताव संख्या 05 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमति निर्माण	G+1
कुल क्षेत्रफल	650.00 वर्गगज
सैटबैक	अग्र – 20'0" पार्श्व प्र. –10'0" पार्श्व द्वि.–10'0" पीछे – 15'0"

1. बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगें।
2. पडौसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
3. मानचित्र एवं पट्टे में यदि चबुतरी दर्शायी गई तो उसे खुली रखेंगे।
4. खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने का बाध्य रहेगें।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरित निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
11. निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शें के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल भू–स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगें मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान – भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगें।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क – 1,000/– जांच शुल्क – 5,437/– मानचित्र शुल्क – 5,500/– भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क – 7,214/– बी.एस.यू.पी. शुल्क – 4,809/– मलबा शुल्क – 5,000/– विकास एंव संधारण शुल्क – 4,500/– शेष/उपकर – 42,267/– जरिये रसीद संख्या 9069/1544 दिनांक 04.11.2020 – धरोहर राशि 000/– जरिये रसीद संख्या 9069/1546 दिनांक 04.11.2020 – वर्षा जल सग्रहंण – 75,000/– जरिये रसीद संख्या 9069/1545 दिनांक 04.11.2020 – यू. डी. टैक्स – 44,047/– जरिये रसीद संख्या 9069/1547 दिनांक 04.11.2020 (कुल राशि – 2,29,774/–) को निमग कोष मे जमा करा दिये गये है, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपके विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत् कार्यवाही की जायेंगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) वसूल किये जायेगें।

उपायुक्त
जोधपुर नगर निगम – दक्षिण